Indian-Non Judicial Stamp
Haryana Government

Date : 24/12/2018

Certificate No. B0X2018L133

GRN No. 42793291

Stamp Duty Paid : ₹ 9000 (Rs. Only)

Penalty : ₹ 0 (Rs. Zero Only)

Seller / First Party Detail

Name: Jiwan ram Son of shri Bhagwana ram

H.No/Floor : 0 Sector/Ward : 0 LandMark : 0

City/Village : Lohani District : Bhiwani State : Haryana

Phone: 9050371693 Others : No

Buyer / Second Party Detail

Name : Sunil kumar saroha Son of shri Mani ram saroha

H.No/Floor : 0 Sector/Ward : 0 LandMark : 0

City/Village: Harodi District : Charkhi dadri State : Haryana

Phone : 6283950630 Others : No

Purpose : Lease Deed

SAMENDER SINGH SARANGPURIA STAMP VENDOR Court Complex BHIWANI

The authenticity of this document can be verified by scanning this QrCode Through smart phone or on the website https://egrashry.nic.in

9790

पट्टानामा

	जरपट्टा	म्याद	स्टाम्प
3 कनाल 2 मरले	1,50,000/–सालाना	20 वर्ष	9,000/–रूपये

मौजा लोहानी तह0 भिवानी

हम कि 1. जीवनराम 2. जयबीर पुत्रान् श्री भगवानाराम पुत्र श्री तोताराम निवासीयान् लोहानी तह0 वा जिला भिवानी के है। जो कि हम अपनी स्वस्थ बुद्धि वा स्वस्थ चित से यह इकरार करते है और लिख देते है कि हम मौजा लोहानी तह0 वा जिला भिवानी की अराजी जरई खेवट नम्बर 1460 मिन खतौनी नम्बर 1707 मिन खसरा नम्बर 161//13 मिन पूर्व (3–2) तादादी 3 कनाल 2 मरले (35×45 M) रकबा के समभाग बरूवे इन्तकाल नम्बर 6052 मंजूरशुदा 09–03–2017, वाहिद मालिकान वा काबिजान होते है। जो कि हर प्रकार के ऋण भार से पाक वा साफ है। उक्त रकबा इस समय काश्त के तौर पर प्रयोग में नही हो रहा है। इसलिए

हमनें अपनी स्वेच्छा से बिना किसी के दबाव में आये हुये उक्त रकबा तमाम तादादी 3 कनाल 2 मरले सालिम समभाग को सहित तमाम हकूक निकास प्रवेश (35X45 M) मय रास्ता मय इत्यादि हकूक जो भी हमें अराजी बाला में हाँसिल होते है, को बदले मु0 1,50,000/-रूपये (एक लाख पचास हजार रूपये) सालाना की दर से बराए म्याद 20 वर्ष अज़ दिनांक 24-12-2018 ता 23-12-2038 (तेईस दिसम्बर सन् दो हजार अड़तीस) तक बहक सुनील कुमार सरोहा पुत्र श्री मनीराम सरोहा पुत्र श्री रिछपाल सरोहा निवासी हडौदी तह0 बाढडा जिला चरखी दादरी को निम्नलिखित शरायत पर पट्टा पर दे दी है और कब्जा वाकई मौका पर अराजी जेर पटटा का पट्टेदार उपरोक्त को सम्भलवा दिया है। शरायत पट्टेदारी यह तय हुई है:- 1. यह कि पट्टा राशि की दर 1,50,000/-रूपये (पचास हजार रूपये) सालाना तय हुई है जो साल दर साल हर साल के अन्त में पट्टेदार मालिकान अराजी को अदा करता रहेगा और रसीद हाँसिल करता रहेगा, बिना रसीद कुछ भी लिया दिया गया नही समझा जाएगा। 2. यह कि म्याद पट्टा अज़ दिनांक 24-12-2018 ता 23-12-2038 (तेईस दिसम्बर सन् दो हजार अड़तीस) तक नियुक्त हुई है बाद म्याद अराजी जेर पट्टा का कब्जा पट्टेदार मालिकान अराजी को सम्भलवाने का पाबन्द रहेगा। 3. यह कि पट्टेदार अराजी जेर पट्टा को बराए लगाने पैट्रोल पंप प्रयोग कर सकेगा। अर्थात् अराजी जेर पट्टा में पट्टेदार उपरोक्त अपनी लागत से हर प्रकार का निर्माण अपनी जरूरत अनुसार करवा सकेगा, मशीनरी लगा सकेगा, बिजली कनैक्शन, पानी कनैक्शन ले सकेगा। पैट्रोल पम्प लगाने से सम्बन्धित कार्य के अलावा पट्टेदार अराजी जेर पट्टा को अन्य किसी

-मनीराम

कार्य के लिए प्रयोग मे नही ला सकेगा। 4. यह कि बाद समाप्ति म्याद तीन माह के अन्दर-अन्दर अराजी जेर पट्टा से अपना मलबा उठा ले जाने का हकदार होगा। यदि पट्टेदार अराजी जेर पट्टा में से अपना मलबा नहीं उठायेगा, तो उस सूरत में मालिकान अराजी को यह हक वा अधिकार होगा कि वह मलबा को अपने कब्जा में ले लेंवें। 5. यह कि दौराने म्याद अराजी जेर पट्टा में पट्टेदार ऐसा कोई कार्य नही करेगा, जिससे कि अराजी जेर पट्टा की कीमत में कोई कमी आ जाऐ। 6. यह कि दौराने म्याद अराजी जेर पट्टा को पट्टेदार किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति को सबलेट नही कर सकेगा और ना ही मांगी हुई देगा। 7. यह कि पट्टेदार वा कम्पनी के मध्य जो शर्ते तैय होगी, वह सभी शर्ते हमें मंजूर होगी। 8. यह कि बाद समाप्ती म्याद पट्टेदार वा मालिकान अराजी आपसी सहमति से पट्टा को आगे बढा सकेगें। 9. यह कि पट्टेदार अराजी जेर पट्टा में बिल्डिंग बनाने के लिए नक्शा पास करवा सकेगा, पैट्रोल पम्प लगाने के लिए पट्टेदार किसी बैंक या दीगर किसी ऋण देने वाली संस्था से ऋण प्राप्त कर सकेगा, जिस बारे हमें कोई एतराज नही होगा। 10. यह कि इन्तकाल हसब जाब्ता बहक पट्टेदार करवा देंगें। 11. नुक्स कानूनी वा नुक्स मलकियत की हम जिम्मेवार रहेंगी। 12. नौबत अदालत तक आने पर हर्जा खर्चा तमाम कसूरवार फरीक के जिम्मे होगा। 13. वसीका मे दर्जशुदा रक़बा की मलकियत वा क़ब्जा बारे हम दोनो पक्षों को पूरी जानकारी है जिसके हम दोनो पक्ष स्वयं जिम्मेवार रहेंगें। 14. पाबन्दी दस्तावेज हजा की फरीकेन की तरह से फरीकेन के वारसान की भी न्याई रहेगी। अतः यह पट्टानामा रोबरू गवाहान के लिख दिया है ताकि प्रमाण रहे वा समय पर काम आवें। मजमून

DISTT. CO... ENRL...

प्रलेख न:9390

दिनांक:24-12-2018

डीड का नाम LEASE	डीड सबंधी विवरण	
तहसील/सब-तहसील भिवानी	गांव/शहर लोहानी	स्थित लोहानी
	भवन का विवरण	
	भूमि का विवरण	
नहरी		3 Kanal 2 Marla (35X45M)
	धन सबंधी विवरण	
राशि 150000 रुपये		
स्टाम्प नं : b0x2018I133	स्टाम्प की राशि 9000 रुपये	कुल स्टाम्प ड्यूटी की राशि 9000 रुपये
रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 1000 रुपये	EChallan:42797379	पेस्टिंग शुल्क 3 रुपये
Drafted By:		Service Charge:200

यह प्रलेख आज दिनांक 24-12-2018 दिन सोमवार समय 4:05:00 PM बजे श्री/श्रीमती/कुमारी जीवनराम पुत्र भगवानाराम जयबीर पुत्र भगवानाराम निवास लोहानी द्वारा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
जीवनराम जयबीर

उप/सयुंक्त पंजीयन अधिकारी (भिवानी)

प्रलेख में वर्णित क्षेत्र नगर एवं ग्रामीण आयोजना विभाग के अधिनियम 1975 की धारा 7-ए के अंतर्गत अधिसूचित है इसलिए दस्तावेज को पंजीकृत करने से पूर्व सबंधित विभाग से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

या

प्रलेख में वर्णित क्षेत्र नगर एंव ग्रामीण आयोजना विभाग के अधिनियम 1975 की धारा 7-ए के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है इसलिए दस्तावेज को पंजीकृत करने से पूर्व सबंधित विभाग से अनापति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

दिनांक 24-12-2018
जीवनराम जयबीर

उप/सयुंक्त पंजीयन अधिकारी (भिवानी)
संयुक्त सब रजिस्ट्रार

उपरोक्त पटटा लेने वालाव श्री/श्रीमती/कुमारी सुनील कुमार सरोहा पुत्र मनीराम हाजिर है। प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यों को दोनों पक्षों ने सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया। प्रलेख के अनुसार 0 रुपये की राशि पटटा देने वालाने मेरे समक्ष पटटा लेने वाला को अदा की तथा प्रलेख मे वर्णित अग्रिम अदा की गई राशि के लेन देन को स्वीकार किया।दोनों पक्षों की पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी होशियार सिह नम्बरदार पिता --- निवासी लोहानी व श्री/श्रीमती/कुमारी सोमबीर सिह पिता --- निवासी लोहानी ने की। साक्षी नं:1 को हम नम्बरदार/अधिवक्ता के रूप मे जानते है तथा वह साक्षी नं:2 की पहचान करता है।

दिनांक 24-12-2018

उप/सयुंक्त पंजीयन अधिकारी(भिवानी)
संयुक्त सब रजिस्ट्रार
भिवानी

दस्तावेज हजा पढकर सुनाया वा समझाया गया, जिसे सुनकर वा समझकर सही माना। दस्तावेज का मजमून मैंने मिकरा की हिदायतानुसार तैयार करवाया है। नितिन सचदेवा एडवोकेट भिवानी दिनांक 24-12-2018

DISTT. COURT, BHIWANI
ENRL. No. P/273/2013

पट्टा देहिन्दगान

1. जीवनराम
आ0 न0 7180 3341 3892

2. जयबीर
आ0 न0 5634 4523 6272

पट्टा गृहिन्दा
सुनील कुमार सरोहा
आ0 न0 4974 7367 4493

गवाह
होशियार सिंह
नम्बरदार लोहानी
आ0 न0 2726 6164 2437

गवाह
सोमबीर सिंह पुत्र श्री चितर सिंह
निवासी लोहानी तह0 भिवानी
आ0 न0 8052 1024 5694

Reg. No.	Reg. Year	Book No.
9390	2018-2019	1

पटटा देने वाला

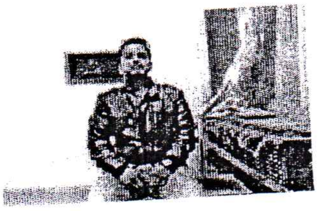

पटटा लेने वाला

गवाह

उप/सयुंक्त पंजीयन अधिकारी

पटटा देने वाला :- जीवनराम जयबीर

पटटा लेने वाला :- सुनील कुमार सरोहा

गवाह 1 :- होशियार सिह नम्बरदार

गवाह 2 :- सोमबीर सिह

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख क्रमांक 9390 आज दिनांक 24-12-2018 को बही नं 1 जिल्द नं 57 के पृष्ठ नं 165.5 पर किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही संख्या 1 जिल्द नं 9261 के पृष्ठ संख्या 40 से 42 पर चिपकाई गयी । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहों ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगूठा मेरे सामने किये है ।

उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी(भिवानी)

दिनांक 24-12-2018